न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / रसद / 23 / 2018

महेश उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पल्ला तहसील कामां जिला भरतपुर
..... अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर .....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 11–06–2018 प्रकरण संख्या 10 / 18

उपस्थितिः–

1–विमल सिंह ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 14.08.2019

अपीलान्ट ने यह अपील तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–06–2018 विधि के प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ पेश की गई है। न्यायालय द्वारा मात्र प्रवर्तन निरीक्षक महोदया कामां द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 11.01.18 को जो आदेश पारित किया है विधि विरूद्व विपरीत पत्रावली है क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक महोदया द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 व निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 11.01.2018 व चार्ज रिपोर्ट क्रमांक 261 दिनांक 15.05.2018 व फर्द मौका रिपोर्ट 16.02.2018 में ही आपस में भारी विरोधाभास है। जिनसे यह कही साबित नहीं करता है कि अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से किसी राशन सामग्री कालाबाजारी या गबन किया गया हो । एक तरफ तो प्रवर्तन निरीक्षक माहोदया कामां अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 के दौरान की गई जांच गेंहूं व चीनी का स्टॉक निल होना तथा कैरोसीन 388 लीटर पाया जाना बताया गया है। तथा फर्द मौका 16.02.2018 व चार्ज रिपोर्ट क्रमांक 261 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार जांच में सभी उचित मूल्य सामिग्री गेंहू,चीनी व कैरोसीन स्टॉक रजीस्टर के अनुसार सही मात्रा में पाये गये। तथा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के राशनकार्डों के सत्यापन में नियमानुसार वितरण पाया गया। तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी। मौके पर अपीलांट की दुकान पर गेंहू 18.68 क्विंटल , 915 लीटा कैरोसीन व 4.23 क्विंटल चीनी का नियमानुसार स्टॉक था। जिसे तहत न्यायालय के आदेश क्रमांक रसद / अभि0 / 2018 / 579 दिनांक 30.01. 2018 की अनुपालना में प्रवर्तन निरीक्षक कांमा द्वारा दिनांक 16.02.2018 को

उचित मूल्य दुकानदार शेर मोहम्मद सवलाना को मय पोश मशीन अपीलांट द्वारा संभलवा दिया गया था व चार्ज संभलवाने की हडबडी व जल्दबाजी में 1.60 क्वि0 गेंहू जो की अपीलांट की उ0 मू0 की दुकान के अंदर केरोसीन के खाली ड्रमों की पीछे पडे गेहू के बारदाने में सहवन से रह गया था को भी दिनांक 21.02.2018 को शेर मोहम्मद को संभाला कर रिसीव प्राप्त कर ली गई थी। तहत न्यायालय द्वारा पारित जैर अपीलाधीन आदेश में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,10,11 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन माना है। तहत न्यायालय ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,10,11 व 18 इन शर्तों का किस प्रकार उल्लंघन किया है। और ना ही तहत पत्रावली में कोई इस प्रकार का साक्ष्य है जिससे यह सिद्व होता है कि अपीलांट द्वार इन शर्तों का उल्लंघन किया है। मात्र अपने आदेश में यह लिख देना ही पर्याप्त नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः इस प्रकार पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 को नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी का होने के कारण काबिल खारिज है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त जैर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित नहीं, कई बार आवाज लगवाई गई अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये एवं पूर्व में भी कई बार बहस हेतु मौका दिया जा चुका है लेकिन उपस्थित नहीं आये। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि वक्त जांच अपीलान्ट डीलर के यहां 37.76 क्वि0 गेंहू, 4.23 क्वि0 चीनी तथा 819 लीटर कैरोसीन कम पाया गया। इस बाबत डीलर द्वारा कोई अभिकथन या साक्ष्य अथवा कारण नहीं दिया गया है। वक्त जांच कम पाये गये स्टॉक संबंधी अनियमितता का कोई जबाब प्रस्तुत करने के स्थान पर पश्चातवर्ती सोच से वक्त जांच कम पाये गये स्टॉक की पूर्ति करके अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया है। जो डीलर की कालाबाजारी की मंशा को दर्शाता है। अतः डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,10,11 व 18 का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट या उसके वकील का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नही कहना है। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 5,10,11 व 18 का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official